एस0सी0 एस0टी0-40/17
नालशी वाद सं0-247सी/17

दिनाक-21.01.19

कारावीन अभियुक्त उमेश सिंह की ओर से दाखिल जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें इस केश में झूठा फंसाया गया है, पविादनी द्वारा जिस तरह यसे घटना का वर्णन किया गया है वैसी कोई घटना नहीं घटी है, लक्षमण सिंह पुत्र स्व0 भरत सिंह परिवादनी के पति गुलाब पासवान एवं अन्य के विरूद्ध बलुआ बाजार थाना कांड सं0-13/17 दर्ज कराए हैं और प्रार्थी लक्षमण सिंह के भाई हैं इसी कारण गुलाब पासवान ने लक्षमण सिंह, उमेश सिंह वगैरह के विरूद्ध एस0सी0/एस0टी0 का आरोप लगाकर के यह झूठा केश दर्ज करवा दिया। परिवादनी द्वारा अपने शपथ पर वयान में कहीं भी गाली गलौज के दैरान जाति सूचक शब्द के प्रयोग करने का उल्लेख नहीं की है, प्रार्थी को कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अन्य सभी सह अभियुक्तों को पूर्व में नियमित जमानत दिया जा चुका है, न्यायालय का हरशर्त मानने को तैयार है, प्रार्थी दिनांक 17.01.19 को न्यायालय में स्वत: ही आत्मसमर्पण किए है तथा तब से कारा में हैं, अत: जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अपराध कि प्रकृति देखते हुए जमानत आवेदन खारीज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद परिवादनी राजकुमारी देवी द्वारा प्रार्थी सहित कुल 9 नामाकित अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 26.03.17 के घटना तिथि के लिए नालशी वाद दाखिल किया गया जिसमें परिवादनी ने अभियुक्तों के विरूद्ध जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर और डायन कहकर गाली गलौज करने एवं मारपीट करने का आरोप लगाया है, तथा घर में घुसकर बक्सा उठा कर ले जाने, पति के पाकेट से 5000/-रूपैया एवं अपने कान से सोने का बाली छीन लेने का आरोप लगाया है। परिवादनी का शपथ पर वयान एवं जांच क्रम में साक्षियों का साक्ष्य लेने के बाद नालशी वाद में नामांकित सभी अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 147,148,341,323,448 379 भा0द0वि0 एवं धारा 3(i)(x) अनु0जाति/अनु0 जनजाति अधिनियम 1989 एवं 3/4 डायल अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया।

अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि यह नालशी वाद पर आधारित वाद है, प्रार्थी के विरूद्ध परिवादनी को बाल पकड़कर मारपीट करते हुए अपने घर लेजाकर खूंटा में बांधकर डायन कहते हुए पैखाना पिलाने का आरोप है, परंतु परिवादनी के शपथ पर वयान में डायन कहने और पैखाना पिलाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अन्य सभी सह अभियुक्तों को नियमित जमानत दिया जा चुका है, प्रार्थी स्वत: ही दिनांक 17.01.19 को न्यायालय में आत्मसमपर्ण किए है तथा तब से कारा में हैं, फलस्वरूप उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्दे नजर प्रार्थी को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ, तदनुसार प्रार्थी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है, अत: प्रार्थी अभियुक्त की ओर से मो0 10,000/- रू0 के व्यक्तिगत एवं समान राशि के दो-दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उचित पैरवी करेंगे, न्यायालय के आदेश पर सदेह उपस्थित रहेंगे, लगातार दो तिथि तक अनुपस्थित रहने पर विद्वान न्यायालय बंध पत्र रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी, किसी भी साक्षी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगे तथा वाद के त्वरित निस्तारण में सहयोग करेंगे।

अपर सत्र न्यायाधीश,
प्रथम, सुपौल